न्यायालय–विशेष न्यायाधीश एस० सी०/एस० टी० (पी० ए०)एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 १३,बुलन्दशहर।

विशेष परीक्षण संख्या–३१७ सन २०१५

सरकार ––––––––बनाम ––––––––हरिओम

आरोप

मैं, नरेन्द्र कुमार जौहरी, विशेष न्यायाधीश एस० सी०/एस० टी० (पी० ए०)एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 १३,बुलन्दशहर,आप हरिओम पर निम्न आरोप लगाता हूं :–

१. यह कि दिनांक–७.३.२०१५ से दिनांक–१०.३.२०१५ के बीच किसी समय घटनास्थल–ग्राम सठला थाना–स्याना, जिला–बुलन्दशहर के क्षेत्र के अन्तर्गत आपने वादी विजयपाल के पुत्र रवि की गला दबाकर हत्या कारित किया। इस प्रकार आपने धारा–३०२ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

२. यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने रवि की हत्या कारित करने के पश्चात अपराध के साक्ष्य का विलोपन करने के आशय से मृतक के शव को ब्रजघाट में डाल दिया। इस प्रकार आपने धारा–२०१ भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

३. यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने रवि जो अनुसूचित जाति का सदस्य था, की हत्या कारित करके १० वर्ष की अवधि से अधिक के दंड से दंडनीय अपराध कारित किया।इस प्रकारने धारा–३ (२)५ एस० सी०/एस० टी० एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनांक–७.९.२०१५ (नरेन्द्र कुमार जौहरी)

विशेष न्यायाधीश (एस० सी०/एस० टी० एक्ट)/

अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–१३,बुलन्दशहर।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया गया, उसने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांक–७.९.२०१५ (नरेन्द्र कुमार जौहरी)

विशेष न्यायाधीश (एस० सी०/एस० टी० एक्ट)/

अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–१३,बुलन्दशहर।

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश एस० सी०/एस० टी० (पी० ए०)एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 १३,बुलन्दशहर।

विशेष परीक्षण संख्या–३१७ सन २०१५

सरकार ––––––––बनाम ––––––––हरिओम

७.९.२०१५ –आदेश–

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। अभियुक्त हरिओम जेरे हिरासत हाजिर हैं।उसके विद्वान अधिवक्ता भी हाजिर है। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी भी उपस्थित हैं।

पत्रावली आज वास्ते आरोप पर बहस के नियत है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप नहीं बनता है, उसेआरोपों से उन्मोचित किया जावे।

अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत किया है कि पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचन हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

सुना तथा पत्रावली व केस डायरी का परिशीलन किया।

अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप है कि दिनांक–७.३.२०१५ से दिनांक–१०.३.२०१५ को लाश मिलने के समय के बीच किसी समय अभियुक्त ने वादी के पुत्र रवि, जो अनुसूचित जाति का सदस्य था, की गला दबाकर हत्या कारित किया तथा अपराध के साक्ष्य का विलोपन करने के आशय से मृतक के शव को ब्रजघाट में डाल दिया।

यद्यपि अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं किया गया है व विवेचना के प्रारंभिक स्तर पर मृतक की प्रेमिका के पिता व घरवाले आदि लोगों के द्वारा मृतक का अपहरण व बादहू उसकी हत्या किये जाने की आशंका जाहिर किये जाने का तथ्य केस डायरी में अंकित किया गया है, परन्तु विवेचना के पश्चातवर्ती स्तर पर अभियुक्त का नाम प्रकाश में आना दर्शित है। हत्या की उक्त घटना में अभियुक्त की संस्वीकृति का तथ्य उसकी पूर्व प्रेमिका द्वारा भी अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 व 164 दं0 प्र0 सं0 में अंकित कराया गया है। केस डायरी में राजपाल सिंह व संजय कुमार के समक्ष भी अभियुक्त द्वारा अपराध की न्यायेत्तर संस्वीकृति किये जाने का तथ्य दर्शित किया गया है व साक्षी खेमचंद, मीठीराम व राजवीर उर्फ राजू के द्वारा दिनांक–7.3.2015 को रात्रि के 10 बजे अभियुक्त को घोड़ा–बुग्गी में घास भरकर स्याना की तरफ जाते हुए देखे जाने का बयान अंकित किया गया है। यह भी अंकित किया गया है कि उसी रास्ते में उक्त साक्षीगण ने पुलिया पर मृतक को मृत्यु पूर्व बैठे हुए देखा था। उक्त साक्ष्य के विरूद्ध इस स्तर पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः प्रथमदृष्टया अभियुक्त हरिओम के विरूद्ध धारा-३०२,२०१ भा० दं० सं० व ३ (२)५ एस० सी०/एस० टी० एक्ट में आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। तद्नुसार अभियुक्त हरिओम के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अपराध में आरोप विरचित किये जाते हैं। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक–१९.९.२०१५को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश(एस 0 सी0/एस 0 टी0)एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–13,
बुलन्दशहर।